

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक प0 12(1)चिस्वा/2/18


जयपुर,दिनांक 19-नवम्बर-2018

आदेश

डॉ० राजेश शर्मा, प्रमुख विशेषज्ञ (मेडिसिन), प. दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, जयपुर को विधानसभा चुनाव-2018 में भाग लेने हेतु उनकी स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम-50(1) के अन्तर्गत दिनांक 19.11.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।


उक्त चिकित्सक के विरुद्ध विभागीय जांच/शिकायत/एफ.आई.आर की के सम्बन्ध में अलग से आदेश जारी किये जावेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(पारस चन्द जैन)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- 1—निदेशक(जन स्वा)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राज०जयपुर।
- 2—निदेशक,पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग,जयपुर।
- 3—मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जयपुर।
- 4—डॉ० राजेश शर्मा, प्रमुख विशेषज्ञ(मेडिसिन), प. दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, जयपुर।
- 5—रक्षित पत्रावली/कम्प्यूटर सैल ।

  
(पारस चन्द जैन)  
शासन उप सचिव